अज अदालतः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राज.)

एफ आर संख्याः– 154/2024

अपराध अंतर्गत धारा 406 भारतीय दंड संहिता

मोहम्मद इमरान बनाम युसुफ

तारीख मुकदमा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
10.03.2026	अभियोजन अधिकारी उपस्थित । अधिवक्ता परिवादी श्री वरूण सैनी एवं श्री विकास सैनी उपस्थित । इस आदेश के द्वारा हस्तगत प्रकरण एफ.आई.आर. नंबर 184 दिनांक 06.07.2024 अपराध अंतर्गत धारा 406 भारतीय दंड संहिता में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में आदेश पारित किया जा रहा है । संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 24.06.2024 को परिवादी श्री मोहम्मद इमरान द्वारा एक परिवाद अंतर्गत धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता अपराध अंतर्गत धारा 406, 409, 417, 420, 467, 468 भारतीय दंड संहिता में अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस थाना कोतवाली चूरू भिजवाये जाने बाबत पेश किया जिस पर कार्यालय रिपोर्ट किये जाने के पश्चात संबंधित थाने से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं दिनांक 30.07.2024 को यह परिवाद धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू को प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए प्रेषित किया गया । इस परिवाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः– प्रार्थी के समाज के व्यक्ति युसुफ पुत्र करीम बक्श वार्ड संख्या 10, चूरू जिसके मो. 9166984331 ने उसके साथ मिलकर एक व्यवसाय (व्यापार) कच्चा धागा का जो भिवण्डी व बनारस से उक्त जमजम इन्टर प्राईजेज, बनारस व सुरज गुप्ता, भिवण्डी उक्त दोनों फर्म से धागा मांगकर उक्त हम दोनों व्यक्ति कोण मंगाकर छोटी गट्टी बनाकर होल सेल, रिटेल का काम हम दोनों साझेदार द्वारा उक्त कार्य किया। उक्त व्यवसाय उसके पार्टनर की जमीन पर करने के लिए एक पक्का कमरा व उक्त प्लाट की चार दीवारी, लेट बाथ निर्माण करने के लिए उसने नगद रूपये उसके व्यवसाय	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	पार्टनर युसुफ पुत्र करीम बक्श को रूपये 5,45,000/—रूपये दिये थे। उक्त काम करने के लिए गट्टी बनाने के मशीन को आबिद दिल्ली से मशीन मंगवाई। उक्त कार्य करने के लिए हम दोनों पार्टनर द्वारा हमारे खाते व फोन पे से रूपयों का लेन—देन निरन्तर चलता रहा। फिर युसुफ उक्त काम (व्यवसाय) का रूपयों का लेन—देन का हिसाब भी साथ—साथ करता था और हर महिने के हिसाब से महिने के आखिर दिन पैसे का हिसाब होना तय हुआ था, लेकिन युसुफ द्वारा उससे छल कपट कर उसके द्वारा दी गई माल की राशि को हड़प कर पूरा माल कच्चा व रूपयों को गलत नियत से मुझ प्रार्थी द्वारा फर्म से मंगवाया गया कच्चा माल के रूपयों का लेन—देन प्रार्थी इमरान द्वारा 66,31,200 /— रूपये का हिसाब उसके खाता व फोन पे द्वारा उक्त कम्पनी को भुगतान किया गया। साझेदार व्यवसाय में साथी पार्टनर युसुफ उसके द्वारा उक्त धन्धे का हिसाब की किताब को लेकर व्यवसाय में मुनाफा, नुकसान, बचत, लागत का हिसाब बैठकर करने को प्रार्थी द्वारा कहा गया तो गलत छल कपट की नियत से 12 माह निकाल दिये। फिर प्रार्थी द्वारा समाज के मौजिज लोगों के द्वारा मुझ प्रार्थी व युसुफ के बीच सामाजिक तौर पर मिटिंग कर उक्त युसुफ ने 75,286/— रूपये का प्रोफिट का चेक भी दे दिया व मूल रकम देने से युसुफ द्वारा उक्त माल की चोरी का बहाना बनाकर रूपये देने से इंकार कर दिया। जिसकी रिपोर्ट उसने कोतवाली चूरू में थानाधिकारी महोदय के नाम से थाने पर जा कर दी थी और उनके बीच जो भी लेन—देन हुआ था उसका पूरा हिसाब किताब व स्टेटमेन्ट पुलिस को दिखाए थे। लेकिन उसने जो पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया था उसकी जांच हेड. कानि. पी एस कोतवाली चूरू कर रहा है, लेकिन उक्त हेड कानि इस प्रकरण में दोषी युसुफ पुत्र करीम बक्स निवासी वार्ड नं. 10 चूरू से मिल चुका है और आज तक उससे किसी भी प्रकार की जांच नही की ना ही गवाह आदि के बयान वगैरा लिए । उसने एक प्रार्थना पत्र पुलिस थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए एस एच ओ चूरू को पेश किया था फिर भी उसकी एफ आई आर दर्ज नही की गई काफी दिनों तक उसे चक्कर	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	कटवाते रहे ।दिनांक 14.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र विषय मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पेश किया था फिर भी उसकी एफ आई आर दर्ज नहीं की गई है पुलिस अधीक्षक को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ उसने उसके साथ जो धोखाधडी हुई उसके सम्पूर्ण दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश की थी फिर भी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करके उल्टा आरोपित व्यक्ति से साज करके उसके साथ हुई धोखाधडी को नजरअंदाज किया और दोनों ही प्रार्थना पत्र में मुकदमा दर्ज नही किया गया...इत्यादि । इस प्रकरण में अपराध अंतर्गत धारा 406 भारतीय दंड संहिता में मुकदमा संख्या 184/2024 दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन अदम वकु सिविल नेचर में दिया गया । बाद अनुसंधान हस्तगत प्रकरण में थाना कोतवाली चूरू की ओर से प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन अदम वकु सिविल नेचर में पेश किया गया जिस पर व्यथीत होकर परिवादी मोहम्मद इमरान द्वारा मार्फत अधिवक्ता दिनांक 22.10.2024 को एक विरोध याचिका न्यायालय में पेश की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में मुकदमा दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था। कोतवाली एस.एच.ओ. द्वारा मुकदमा दर्ज नही करने पर प्रार्थी ने माननीय पुलिस अधिक्षक महोदय, चूरू के समक्ष मुकदमा दर्ज करने बाबत प्रार्थन पत्र पेश किया उसके बाद भी प्रार्थी का मुकदमा दर्ज नहीं होन के कारण मुस्तगीस ने माननीय न्यायालय के समक्ष इस्तगासा पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) सीआरपीसी/175 (3) बी.एन.एस.एस. मे इस्तगासा कोतवाली थाना को प्रेषित कर मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेशित किया। उक्त आदेशानुसार कोतवाली पुलिस थाना, चूरू द्वारा दिनाकं 06.07.2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 184/2024 दर्ज की गई जबकि इस्तगासा के मजबून से धारा 406 व 420 भा.द.स. का अपराध बनता है। मुस्तगीस व अभियुक्त युसुफ ने साझेदारी में एक व्यवसाय कच्चा धागा का शुरू किया था। व्यवसाय में लगने वाले सामान व क्रय–विक्रय के लेन देन का सारा खर्चा फोन पे	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	(यु.पी.आई.) व बैंक खाता के जरिये हुआ था जिसकी सारी जानकरी बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है। दोनों साझेदार के बीच तय हुआ था कि हर महिने हिसाब किताब किया जायेगा परन्तु अभियुक्त युसुफ के द्वारा हिसाब किताब में छल कपट किया गया जिसके चलते अभियुक्त ने हर महिने हिसाब नहीं किया गया मुस्तगीस को जब अभियुक्त के द्वारा किये गये छल कपट के बारे में पता चला तो मुस्तगीस ने इस बारे में अभियुक्त से पूछताछ की और हिसाब की किताब दिखाने को कहा जिस पर अभियुक्त ने हिसाब किताब दिखाने से साफ ईन्कार कर दिया। वास्तव मे अभियुक्त के द्वारा छल कपट नहीं किया होता तो हिसाब की किताब दिखाने से ईन्कार नहीं करता जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने मुस्तगीस को धोखा देने व छल कपट करने की नियत से साझेदारी में शुरू किये गये व्यवसाय में मुस्तगीस के साथ छल कपट व धोखधड़ी की है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान मे पाया कि दोनो साझेदार एक ही मौहल्ले में निवास करते है। समाज व मौहल्ले के लोगो के द्वारा सामाजिक तौर पर दोनो साझेदार के मध्य समझाइश करेन हेतु मिटिंग रखी गई जिसमे तय हुआ है कि मुस्तगीस को लाभांश के 75,286/- रूपये अभियुक्त से प्राप्त करने है जिस पर अभियुक्त ने मुस्तगीस को 75,286/- रूपये का चैक दिया और मुस्तगीस की मूल रकम 11,71,200 रूपये मुस्तगीस द्वारा अभियुक्त को बैंक स्टेटमेंट देने पर सुपुर्द कर देगा। मुस्तगीस द्वारा जब अभियुक्त को अपना बैंक स्टेटमेंट देने पर उसकी मूल रकम देने से यह कहते हुए ईन्कार कर दिया कि स्टेटमेंट गलत है जबकि बैंक स्टेटमेंट गलत होने का प्रश्न ही नहीं बनता क्योंकि बैंक स्टेटमेंट मे लेन देन किससे किया व किसको किया इसकी सभी जानकारी मौजूद रहती है। अभियुक्त ने वास्तव में मुस्तगीस के साथ धोखाधड़ी व छल-कपट नहीं किया होता तो उक्त स्टेटमेंट के जरिये मुस्तगीस के द्वारा किये गये लेन-देन की जानकारी प्राप्त कर सकता था और सत्यता के बारे मे स्टेटमेंट के जरिये मालूमात कर सकता था। प्रकरण के अनुसंधान में स्पष्ट रूप से यह पाया गया है कि दोनो साझेदारों	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	के बीच में रूपये को लेकर अनबन हुई है उसके बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण को सिविल नेचर का मानते हुए प्रकरण में एफआर पेश की है, परन्तु अनुसंधान अधिकारी ने अपने अनुसंधान में पैसो के घपले बाजी व छल–कपट होना भी पाया और मुस्तगीस के द्वारा समस्त दस्तावेज देने के बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में एफआर पेश की जबकि जहां धोखाधड़ी व छल–कपट से पैसो के लेनदेन का विवाद पाया जाता है तो वो प्रकरण सिवील नेचर का कतई नहीं हो सकता। पैसो को लेकर किये गये छल–कपट व धोखाधड़ी एक अपराधिक कृत्य है। इससे यह बखूबी स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण में निष्पक्ष जांच नही की है और अभियुक्त पक्ष से साज कर प्रकरण में गलत अनुसंधान कर एफआर पेश की है। अभियुक्त ने उक्त प्रकरण के सम्बंध में एक सिविल दावा पेश कर रखा हे जो माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, चूरू के समक्ष विचाराधिन है। उक्त सिविल दावे से अभियुक्त ने यह अंकन किया है कि जिस भू–खण्ड मे दोनो पक्षकरो के द्वारा व्यवसाय शुरू किया गया था वो भू–खण्ड मुस्तगिस ने अभियुक्त से किराये पर लिया था, परन्तु प्रकरण के अनुसंधान मे ऐस कोई तथ्य नही पाया गया है एवं ना ही उक्त भू–खण्ड को किराये पर देने बाबत दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये है, एव ना ही उक्त सिविल दावे में अभियुक्त द्वारा स्वयं का मुस्तगिस के साथ व्यापार में साझेदार होना बताया है जबकि अनुसंधान अधिकारी अपने अनुसंधान में अभियुक्त व मुस्तगीस को साझेदार होना माना है। उक्त सभी तथ्यो से साफ जाहीर होता है कि अभियुक्त पहले दिन से ही मुस्तगीस के साथ छल कपट कर धोखाधड़ी करने की नियत से साझेदारी में व्यापार शुरू किया था एवं मुस्तगिस को पैसे देने से बचने के लिए एवं अभियुक्त के द्वारा मुस्तगीस के साथ किये गये छल–कपट व घोखाधड़ी से बचने के लिए अनुसंधान अधिकारी से साज कर झुठे व मनगढ़त तथ्यो के आधार पर सिविल दावा पेश किया है ताकि प्रकरण को सिविल नेचर का मान कर एफआर पेश की जा सकी। प्रकरण मे अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहान के पुलिस बयान लेखबद्ध किये गये है। समस्त गवाहान ने	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	अभियुक्त के द्वारा मुस्तगीस के साथ पैसों के लेन–देन को लेकर किये गये धोखाधड़ी व छल–कपट की घटना को तायद किया है एव अनुसंधान अधिकारी ने गवाहान के बाताये अनुसार उनके बयान भी लेखबद्ध नहीं किये गये। समस्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा घटना की तायद करने के बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त से साज कर प्रकरण का अनुसंधान निष्पक्ष रूप से नहीं किया और प्रकरण को सिविल नेचर का मानते हुए एफआर पेश की है। हस्तगत प्रकरण में जहां अदम वकु सिविल नेचर में अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30.07.2024 को पेश किया गया था एवं परिवादी मोहम्मद इमरान की ओर से अधिवक्ता श्री नासीर खान द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन पेश करने के लिए अवससर चाहा गया । तत्पश्चात दिनांक 22.10.2024 को मोहम्मद इमरान की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल सैनी द्वारा वकालतनामे के साथ प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की गई थी तत्पश्चात दिनांक 21.11.2024 को प्रकरण में सी.डब्ल्यू. 01 मोहम्मद इमरान (परिवादी) के बयान न्यायालय में लेखबद्ध किये गये थे तत्पश्चात यह पत्रावली परिवादी द्वारा और साक्ष्य पेश करने हेतु नियत की जाती रही । तत्पश्चात **इस प्रकरण में नामजद अभियुक्त मोहम्मद युसुफ द्वारा दायर एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 06/2026 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (मुख्य पीठ जोधपुर) में दिनांक 17.02.2026 को पारित आदेश के अनुसार आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर इस अंतिम प्रतिवेदन का निस्तारण करने का आदेश दिया था । आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2026 को न्यायालय में पेश किया गया था जो नियत तारीख पेशी दिनांक 07.03.2026 को पत्रावली के साथ पेश हुआ ।** दिनांक 07.03.2026 को बाद पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 09.03.2026 दी गई तत्पश्चात परिवादी मोहम्मद इमरान द्वारा अपनी विरोध याचिका के समर्थन में गवाह सी.डब्ल्यू. 02 यूसूफ, सी.डब्ल्यू 03	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	मोहम्मद जाकिर के बयान लेखबद्ध किये गये । तत्पश्चात प्रकरण में और गवाह पेश नहीं करना चाहने पर प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान सुनी गई । उपरोक्त के संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि परिवादी मोहम्मद इमरान द्वारा जो मूल परिवाद न्यायालय में पेश किया गया था । उसमें परिवादी मोहम्मद इमरान ने मुख्य रूप से युसुफ पुत्र करीब बक्ष निवासी वार्ड नंबर 10, चूरू को प्रकरण में नामजद आरोपी बनाया है तथा जो परिवाद पेश किया गया है उसमें आरोपी युसुफ के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 406, 409, 417, 420, 467, 468 का आरोपी मानकर धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता का परिवाद पेश किया है, लेकिन पुलिस द्वारा धारा 406 भारतीय दंड संहिता में ही हस्तगत प्रकरण में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अदम वकु सिविल नेचर में अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया है । **तत्कालीन हेड कानिस्टेबल श्री सुभाषचंद जो इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी रहे है । उसने अपने अंतिम प्रतिवेदन में यह अंकित किया है कि परिवादी इमरान एवं आरोपी युसुफ साझेदारी में काम करते थे । पार्टनरशिप में दोनों द्वारा 2022 में काम करना आरंभ किया गया था । दोनों द्वारा दिल्ली से मशीन क्रय कर आरोपी युसुफ के भूखंड के मकान में चार दीवारी बनाकर काम चालू किया गया । दोनों द्वारा अपने परिचित वालों से माल मंगवाकर काम शुरू किया गया तथा दोनों ही अपने इस व्यवसाय के लिए स्वयं की जानकारी की फर्मों से माल मंगवाकर उनके पेमेंट खातों में फोन–पे या अन्य माध्यम से रूपयों का लेनदेन करते थे जिसका हिसाब–किताब युसुफ द्वारा अपनी डायरी में रखता था । दोनों द्वारा हर माह का हिसाब–किताब करना तय किया गया था मगर आरोपी युसुफ ने हिसाब हर माह नहीं किया । आरोपी युसुफ द्वारा हिसाब करने में आनाकानी करने पर परिवादी ने अपने समाज के लोगों को बैठाकर मीटिंग की जिसमें दोनों पक्षों को बैठाकर व्यापार बाबत हुए लेन–देन का हिसाब–किताब कर दोनों के व्यापार के लाभांश का बराबर हिस्सा बांटकर परिवादी के हिस्से का 75,267/– रूपये लाभांश बाबत चैक खाते में**	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	जमा करवा दिया गया एवं परिवादी को आरोपी के मकान में पडी मशीन एवं शेष पडे कच्चे माल दो दिन में उठाने बाबत सहमति पर लिखापढी कर हस्ताक्षर कर दिये गये थे एवं परिवादी की मूल रकम 11,71,000/– रूपये परिवादी द्वारा अपने बैंक स्टेटमेंट आरोपी के समक्ष पेश करने पर देना तय हुआ था जिस पर परिवादी ने अपने बैंक स्टेटमेंट पेश करने पर बिल से मैच नहीं करने पर आरोपी युसुफ ने परिवादी द्वारा पेश स्टेटमेंट को मानने से इन्कार कर दिया । मुख्य रूप से अनुसंधान अधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि आरोपी द्वारा व्यापार में हुए लेन–देन को लेकर तथा मकान में रखी मशीन एवं माल को उठाने के संबंध में सिविल दावा भी अदालत में कर रखा है । मुख्य रूप से दोनों पक्षों के मध्य रूपयों के लेन–देन का विवाद अनुसंधान अधिकारी द्वारा अंकित किया गया है तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि एफ.आई.आर. के अनुसार धारा 406 भारतीय दंड संहिता का अपराध घटित नहीं हुआ है । इस आधार पर न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाषचंद हेड कानिस्टेबल द्वारा पेश किया गया है । अपनी विरोध याचिका के समर्थन में परिवादी इमरान द्वारा स्वयं को सी.डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित करवाया गया है । अपने बयान में भी परिवादी इमरान द्वारा समाज के व्यक्ति युसुफ पुत्र करीब बक्श निवासी वार्ड नंबर 10 चूरू के साथ मिलकर कच्चे धागे का व्यवसाय करने के संबंध में कथन किये है । अपने मुख्य परीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि वे सूरज टेक्सटाईल भिवंडी व जमजम इंटरप्राईजेज बनारस से कच्चे धागे के कोण खरीदकर छोटी गटटी बनाकर हॉलसेल व रिटेल में बेचने का काम साझेदारी में करते थे तथा इस व्यवसाय को अपने पार्टनर युसुफ की जमीन पर करने के लिये एक पक्का कमरा प्लॉट की चार दीवारी लेट बाथ का निर्माण कराने के लिये उसने युसुफ से 5,45,000/– रूपये नगद दिये थे । कोण की गटटी बनाने की मशीन को दिल्ली के आबिद से खरीदी थी । उक्त कच्चे माल व मशीन का भुगतान उसके द्वारा बैंक खाते व	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	यूपीआई से किया गया था । हमारे व्यवसाय के लेन देन के हिसाब किताब युसुफ करता था और महीने में एक बार पैसों के लेन देन का हिसाब होना हमारे बीच में होना तय हुआ था । मेरे द्वारा जब युसुफ को हमारे व्यवसाय में हुए लाभ हानि व खर्च के बारे में हिसाब किताब करने के लिये कहा गया तो आज कल आज कल कह कर टालता रहा ऐसे करते उसने बारह महीने का समय निकाल दिया । फिर उसने समाज के मौजिज लोगों के द्वारा युसुफ के साथ समझाईस करने की कोशिश की तो युसुफ ने समाज के लोगों के सामने प्रोफिट के 75,286/– रूपये का चैक उसे दिया और युसुफ ने मूल रकम 6,31,200/– रूपये व 5,45,000/– रूपये का बैंक स्टेटमेंट लाने का कहा । जब उसने दो तीन दिन बाद उक्त राशि को बैंक स्टेटमेंट लाके समाज के लोगों के सामने रखा तो युसुफ ने मीटिंग में आने से इन्कार कर दिया । इस आधार पर परिवादी ने यह कथन किया है कि युसुफ द्वारा कई बार पैसे मांगने पर भी नहीं देने पर उसके द्वारा धोखाधडी एवं छल प्रकट किया गया । उसके पश्चात सी.डब्ल्यू. 02 युसुफ पुत्र मोहम्मद साबिर के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा सी.डब्ल्यू. 03 जाकिर के बयान लेखबद्ध किये गये । उक्त दोनों गवाह द्वारा सी.डब्ल्यू. 01 परिवादी इमरान द्वारा न्यायालय के समक्ष कथनों में जो कथन किये गये है उनकी सारतः ताईद की है । उपरोक्त के संबंध में **न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रथमदृष्टया परिवादी इमरान एवं आरोपी युसुफ के मध्य जो संबंध स्थापित है वे न्यायालय के विनम्र मत में प्रथमदृष्टया** The Indian Partnership Act, **1932 से शासित (Governed) होंगे,** इसलिए अधिनियम की धारा 2ए में Act of a firm to be business की परिभाषा दी गई है तथा धारा 4 में जो परिभाषा दे रखी है उसके अनुसारः– **Definition of "partnership", "partner", "firm" and "firm name".**––"Partnership" is the relation between persons who have agreed to share the profits of a	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	business carried on by all or any of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one another are called individually "partners" and collectively "a firm", and the name under which their business is carried on is called the "firm name". किसी भी भागेदारी फर्म के संबंध में उसके भागीदारों के जो भी अधिकार एवं कर्तव्य जो होंगे वे धारा 17 The Indian Partnership Act, 1932 में दिये गये है जो निम्न है:– **Rights and duties of partners—after a change in the firm, after the expiry of the term of the firm, and—where additional undertakings are carried out. —Subject to contract between the partners,—** (a) where a change occurs in the constitution of a firm, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm remain the same as they were immediately before the change, as far as may be; (b) where a firm constituted for a fixed term continues to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incidents of partnership at will; and (c) where a firm constituted to carry out one or more adventures or undertakings carries out other adventures or undertakings, the mutual rights and duties of the partners in respect of the other adventures or undertakings are the same as those in respect of the original adventures or undertakings.	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	न्यायालय के विनम्र मत में भागीदारी मौखिक अथवा लिखित हो सकती है । भागीदारी पक्षकारों के आचरण से भी हो सकती है । परिवादी इमरान एवं आरोपी युसुफ द्वारा एक भागीदारी फर्म के अस्तित्व के रूप में व्यवसाय आरंभ किया गया है उस कारण उसके लाभांश का आपस में समान वितरण करने का करार किया गया था । इस कारण ही लेन–देन के विवाद के कारण दोनों के मध्य यह विवाद उत्पन्न हुआ था । जिसके संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा सिविल वाद करना अपने अंतिम प्रतिवेदन में अंकित किया गया है जो कि पत्रावली पर स्वीकृत तथ्य है । जहां तक धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध का प्रश्न है इस संबंध में मूल अपराध की परिभाषा धारा 405 भारतीय दंड संहिता में दी गई है जो निम्न हैः– **405. Criminal breach of trust-** Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or wilfully suffers any other person so to do, commits "criminal breach of trust". इस अपराध की परिभाषा के दो मूल तत्व हैः– **01.विश्वास आश्रित संबंध (Fiduciary relationship) 02. संपत्ति का न्यस्त किया जाना (Entrustment of Property) ।**	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	यदि परिवादी इमरान द्वारा भागीदारी व्यवसाय के लिए कोई रूपयों के निवेश व्यवसाय के लिए (कच्चे माल की खरीद अथवा मशीन आदि की खरीद) के लिए किया भी गया है तो वह भागीदारी फर्म के व्यवसाय के लिए निवेश के रूप में माना जा सकता है इससे धारा 405 भारतीय दंड संहिता में भी आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा दी गई है उसमें विश्वास आश्रित संबंध के रूप में किसी संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, अधिकार को न्यस्त (Entrusted) करने के रूप में नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रथमदृष्टया परिवादी एवं अभियुक्त का जो आचारण है वह व्यवसाय से प्राप्त लाभांश के सामान वितरण को लेकर था ना कि आपस में विश्वास आश्रित संबंध को लेकर । जहां तक धारा 420 आईपीसी में वर्णित धोखाधडी के अपराध का प्रश्न है परिवादी ने यह आरोप भी नामजद आरोपी युसुफ पर लगाये है इस संबंध में धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अपराध की परिभाषा इस अधिनियम में दी गई जिसके अनुसारः– **420. Cheating and dishonestly inducing delivery of property-**Whoever cheats and thereby dushonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security, anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. **आरोपी युसुफ का शुरू से ही परिवादी इमरान के साथ बेईमानी करने एवं छल करने का आशय हो और ऐसा करके संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करने का आशय हो प्रकरण में प्रथमदृष्टया ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है ।** भारतीय आपराधिक विधि ब्रिटिश कॉमन लॉ से प्रेरित है जिसमें कि दुराशय(Meansrea) का महत्वपूर्ण स्थान है । दुराशय के बिना कोई भी	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)

	कृत्य अपराध नहीं माना जा सकता । लेकिन उसके कुछ अपवाद भी है । लेकिन हस्तगत प्रकरण में किसी भी आपराधिक कृत्य के होने के संबंध में कोई भी तथ्य प्रकरण में परिवादी इमरान द्वारा की गई एफ.आई.आर., प्रस्तुत विरोध याचिका, न्यायालय में परिवादी सहित अन्य साक्षीगण के परीक्षण से प्रथमदृष्टया जाहिर नहीं होता । **ऐसे में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम प्रतिवेदन में दिये गये कारणों से न्यायालय पूर्णतः सहमत है तथा उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप न्यायालय के विनम्र मत में अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन को अस्वीकार किये जाने के का कोई औचित्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं होता है । ऐसे में इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया जाता है एवं परिवादी इमरान की ओर से मार्फत अधिवक्ता प्रोटेस्ट पिटीशन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।** पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।	

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)